न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 115/2020
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88/188 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

सोहनलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 विद्या पत्नी स्व. सुरजाराम (गंगा पत्नी पन्ना) जाति जाट सा. वार्ड स. 12 मन्नीवाली तह. सादुलशहर
2 मदनलाल पि. हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
3 साहबराम पि. हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
4 कृष्णा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
5 कान्ता पुत्री हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
6 कविता पुत्री हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
7 रामप्यारी पत्नी हजारीराम जाति जाट सा. लीलांवाली तह. संगरिया
8 बृजमोहन पि. ओमप्रकाश जाति जाट सा. 36 एल.एन.पी. तह. पदमपुर जिला श्री गंगानगर
9 राजेन्द्र पि. ओमप्रकाश जाति जाट सा. 36 एल.एन.पी. तह. पदमपुर जिला श्री गंगानगर
10 राकेश पि. ओमप्रकाश जाति जाट सा. 36 एल.एन.पी. तह. पदमपुर जिला श्री गंगानगर
11 तुलसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट सा. 36 एल.एन.पी. तह. पदमपुर जिला श्री गंगानगर
12 इन्द्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट सा. 36 एल.एन.पी. तह. पदमपुर जिला श्री गंगानगर
13 अमीत कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट सा. लीलावाली तह. संगरिया
14 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा संगरिया तह. संगरिया
15 तहसीलदार राजस्व संगरिया व उपपंजीयक संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री एस.एन.सिद्धू अधिवक्ता – वादी
2. श्री भीमसिह छिम्पा अधिवक्ता–प्रतिवादी सख्या 1, 3 ,8 ता 10

निर्णय

दिनांक :– 6.3.2026

यह संशोधित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एलआरएक्ट के तहत निम्नानुसार पेश हुआ कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। वादी एव प्रतिवादी रा. 1 व 12 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है । वादी व प्रति स. 1 ता 12 मृतक शिवलाल के वारिस है। शिवलाल के फौत होने के बाद उसके हिस्सा की आराजी हजारीराम, बीरबलराम, रूकमादेवी व पन्ना पुत्र/पुत्री शिवलाल के नाम दर्ज हुई। पन्ना पुत्र शिवलाल के फौत होने के बाद उसके हिस्सा की आराजी उसकी पत्नी गंगा पत्नी पन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। इस प्रकार शिवलाल के हिस्सा की आराजी के हजारीराम, बीरबलराम, रूकमादेवीं पुत्र/पुत्री शिवलाल व गंगा पत्नी पन्ना ब.. हि.ब. के हकदार हुए। हजारीराम, बीरबलराम, रूकमादेवीं पुत्र/पुत्री शिवलाल व गंगा पत्नी पन्ना के नाम से ब.हि.ब. के हिसाब से चक 1 एल.एल. डब्लयु, 3 एल. एल.डब्लयु. 4 एल.एल.डब्लयु व चक 6 एम.एम.के. में कुल 92 बिघा आराजी में निस्फ हिस्सा यानि 46 बिघा का हक बनता था जिसमें से चक 1 एल.एल.डब्लयु में दो बिघा, चक 3 एल.एल. डब्लयु में 18 बिघा चक 4 एल.एल.डब्लयु में 48 बिघा व चक 6 एम.एम.के. मे 24 बिघा यानि कुल 92 बिघा आराजी में हजारीराम वगैरा का 1/2 हिस्सा के हिसाब से 46 बिघा आराजी का हक बनता है। इस 46 बिधा आराजी में गंगा पत्नी पन्ना का 1/4 हिस्सा के हिसाब से 11 बिघा 10 बिस्वा का हक बनता है। गंगा पत्नी पन्ना अपने हिस्सा की उक्त 11 बिघा 10 बिस्वा आराजी अलग अलग बैयनामों के जरिये बीरबल पुत्र शिवलाल व बृजमोहन, राजेन्द्र, राकेश पि. ओमप्रकाश व तुलसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश व इन्द्र पुत्री ओमप्रकाश को बेचान कर चुकी है व उक्त भुमि का कब्जा मौका पर खरिददारान को दे दिया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अंकन भी खरिददारान के नाम दर्ज हो चुका है। गंगा पत्नी पन्ना व बीरबल पुत्र शिवलाल अपने हिस्सा की समस्त आराजी अलग अलग बैयनामो के जरिये आगे बेचान कर चुके है। अब उनका उक्त खातों में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। अतः वर्तमान रिकार्ड चिक 6 एम.एम.के. व चक 3 एल.एल.डब्लयु में गंगा पत्नी पन्ना के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 2 ता 7 ही ब.हि.ब. के हकदार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री हम प्राप्त करना चाहते है। लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती की वजह से राजस्व रिकार्ड में खरिददारान का नाम तो दर्ज कर दिया गया है। लेकिन गंगा पत्नी पन्ना का नाम अभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। गंगा पत्नी पन्ना फौत हो गई है। जिसकी वारिस उसकी पुत्री प्रति स. 1 ही है। जिसका वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अपनी माता गंगा पत्नी पन्ना के नाम का गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वह वादग्रस्त आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरीत करने की फिराक में है। जबकि उसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। यदि वह राजस्व रिकार्ड में अपनी माता के नाम का गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को रहन बैय व अन्य तरिके से अन्तरित करने में कामयाब हो गई तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान हो जायेगा जिसकी क्षति धन में नही आंकी जा सकेगी तथा मौका पर शान्ति व्यवस्था भंग होने व जान माल का भी नुकसान भी हो सकता है। जिसकी क्षतिपुर्ती नही हो सकेगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। 6 यह कि चक 6 एम.एम.के. खाता स. 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा में कुल खाता का योग 3.290 है0 बनता है। लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त खाता का योग 3.290 है0 के स्थान पर 13.160 है० दर्ज कर दिया गया है। जबकि इस खाता में 2.896 है0 नहरी आराजी व 0.253 है० बारानी1 आराजी व 0.051 है० गै.म. खाला है। लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कुल खाता के योग के समय नहरी भुमि 2.986 है0 के स्थान पर 11.944 है0 बारानी1 भुमि 0.253 है0 के स्थान पर 1.012 है0 व गै०मु० खाला की आराजी 0.051 है0 के स्थान पर 0.204 है० दर्ज कर दी जो कि एक लिपिकिय भुल है व काबिल दुरूस्ती है। 7 यह कि वादी ने प्रति स. 1 को कई दफा कहा की आपकी माता गंगा पत्नी पन्ना ने अपने जिवनकाल में ही अपने हिस्सा की 11 बिघा 10 बिस्वा आराजी बेचान कर चुकी है। अब उसका वादग्रस्त आराजी में कोइ हक हिस्सा नही रहा है। इसलिए अब वादग्रस्त आराजी में अपनी माता गंगा देवी के नाम का गलत फायदा उठाकर उक्त आराजी को आगे रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरीत न करो व वादग्रस्त आराजी को वादी व प्रति स. 2 ता 7 को ब.हि... ब. का खातेदार काशतकार घोषित करवाकर उक्त खाता में से गंगा पत्नी पन्ना का नाम कलमजन करवा दो तो वादी के उक्त निवेदन पर पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है। 8 यह कि प्रति स. 14 के पास आराजी रहन होने के कारण तथा प्रति स. 15 को लैण्ड होल्डर एवं पंजीकरण अधिकारी होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। 9 यह कि वाद वादी बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा व जमाबन्दी दुरूस्ती का है। जो कि उरु की कोर्ट फीस पर पेश है एवं समायत अदालत हाजा एवं अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी वाद तहकीकात बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 6 एम. एम. के खाता स. 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा ज.स. 2070--73 व चक 3 एल.एल.डब्लयु खाता स. 78/74 खाता हजारी वगैरा में गंगा पत्नी पन्ना के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 2 ता 7 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसें प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त खातें से गंगा पत्नी पन्ना का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रति स. 2 ता 7 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज की जावे। प्रति स. 1 के विरूद्व इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे चक 6 एम.एम.के खाता स. 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा व चक 3 एल.एल. डब्लयु के खाता स. 78/74 खाता हजारी वगैरा में गंगा पत्नी पन्ना के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरीत न करे व राजस्व रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे व चक 6

सहा० कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

एम.एम के खाता स. 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा के कुल खाता का योग दुरूस्त किया जाकर नहरी भुमि 11.944 है. के स्थान पर 2.986 है0, बारानी1 भुमि 1.012 है. के स्थान पर 0.253 है0 व गै.मु. खाला 0.204है0 के स्थान पर 0.051 है० दर्ज किया जाकर इसी अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 8 ता 10 प्रतिवादीगणो ने जरिये अधिवक्ता वाद–पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाबदावा पेश किये जो शामिल पत्रावाली किये गये। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये।

वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर वाद पत्र में निम्न विवाद्यक बिन्दु तय किये गये:–

1. आया चक 6 एमएमके खाता संख्या 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा ज.स. 2070–2073 व चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 78/74 खाता हजारी वगैरा में प्रति.स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। अत: उक्त खातों की गंगा पत्नी पन्ना प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

.....(वादी)

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा वादी जारी करवाने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रतिवादी संख्या 1 चक 6 एमएमके खाता संख्या 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा व चक 3 एमएमके खाता संख्या 78/74 खाता हजारी वगैरा में गंगा पत्नी पन्ना के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरित न करे व राजस्व रिकार्ड में मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

.....(वादी)

3. आया वादी जमाबन्दी में इस कदर की दूरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि चक 6 एमएके खाता संख्या 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा के कुल खाता का योग 11.944 है. नहरी के स्थान पर 2.986 है. नहरी प्रथम भूमि व 1.012 है. बारानी प्रथम के स्थान पर 0.253 है. व गै.मु. खाला 0.204 है. के स्थान पर 0.051 है. दूरूस्त किया जावे।

.....(वादी)

4. अनुतोष.....

उपरोक्त अनुसार तनकीयात कायम करने के पश्चात् साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादी द्वारा शपथ पत्र पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित करवायें। प्रतिवादी संख्या 1 ने शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। बाद प्राप्त होने साक्ष्य तर्क सुने गये वादी द्वारा भी लिखति तर्क प्रस्तुत किये इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1,3 व 8 ता 10 की ओर से जवाब लिखित तर्क प्रस्तुत किये व उपलब्ध पत्रावली के साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया।

पक्षकारान के लिखित तर्को का अध्यन व मनन करने के उपरान्त पाया गया कि विद्वान अभिभाषक वादी का मुख्य तर्क इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की माता गंगादेवी पत्नी पन्नाराम को विरासतन चक 1 एलएलडब्ल्यु व चक 4 एलएलडब्ल्यु एव चक 6 एमएमके में शिवलाल के नाम अंकित 92 बीघा भूमि मे 1/2 हिस्सा अर्थात 46 बीघा भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि बतौर वारिस पन्नाराम को व इसके मु.गंगा पत्नी पन्नाराम को प्राप्त हुई जिसमें अकेले गंगादेवी को 11.10 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई इस भूमि को गंगादेवी ने बजरिये हस्तातरण पत्र 18.02.1969 को 5 बीघा 15 बिस्वा का बीरबलराम पुत्र शिवलाल को व शेष 5 बीघा 15 बिस्वा 25.02.1969 को ओमप्रकाश पुत्र फुसाराम को कर दिया। स्पष्ट रूप से मु.गंगा पत्नि पन्ना ने अपना हिस्सा 11 बीघा 10 बिस्वा हस्तान्तरण कर दिया किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मे से चक 6 एमएमके जमाबन्दी वर्तमान खाता संख्या 64/82 में 0.292 है. अभी भी गंगादेवी का हिस्सा अंकित चला आ रहा है। इसी प्रकार चक 3 एलएलडब्ल्यु में 0.322 गंगादेवी के नाम अंकित चला आ रहा है जो गलत है। गंगादेवी ने अपना हिस्सा की तमाम भूमि विक्रय कर दी उसका नाम कलमजन होने योग्य व वादी एवं

अपर कलेक्टर एवं

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का रकबा कम हो गया है। इनका इस भूमि का खातेदार घोषित करवाने की प्रार्थना वाद स्वीकार कर करने की प्रार्थना की इसी प्रकार भूमि चक 6 एमएमके तहसील संगरिया के खाता संख्या 64/88 में कुल योग खाता 3.290 हैक्टर बनता है जो कि गलत 13.160 अंकित है। जबकि वास्तव में उक्त खाता में प.न. 152/207 किला नं. 23 में 0.2530 है. प.न. 152/208 में 2.7830 है जिससे 2.9860 है. नहरी 0.253 है बारानी व 0.051 गै.मु.खाला अंकित है। इसी प्रकार प.न. 153/209 मे किला नं. 11 में 0.2530 है बारानी प्रथम मु.न. 78/17 में 0.051 है.गै.मु.खाला कुल योग 13.160 है दिखाया गया जो गलत है कुल योग 3.290 है नहरी/बारानी मय खाला अंकित होने योग्य है। इसे इसी प्रकार दस्तावेज साक्ष्य से सिद्व मानते हुए वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादी संख्या 1, 3, 8 ता 10 ने लिखित तर्को की ओर ध्यान दिलाया व तर्क दिया की वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि के हिस्से में कम हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहते इसलिए वाद निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

तर्को पर मनन व पटन उपरान्त तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

1. इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार चक 3 एलएलडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 में खाता सख्या नया 78 पुराना 74 में 2.303 है. के खाते में 1/4 हिस्सा की खातेदार गंगादेवी अंकित है। इसी प्रकार 6 एमएमके जमाबन्दियों में गंगा का परिवार के साथ 1/4 हिस्से का खातेदार अंकित किया गया है। कुल भूमि पुरानी जमाबन्दियों में दोनो चकों की 92 बीघा भूमि में शिवलला के वारिसों को 1/4 हिस्सा का खातेदार अंकित किया गया है। पूर्ण गणना में दोनो चकों में मु.गुंगादेवी की 46 बीघा भूमि मे 1/4 हिस्सा होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है यह तथ्य गंगादेवी द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र से साबित है व यह तथ्य भी पूर्णरूप से सिद्व है कि उकने द्वारा अपना कुल हिस्सा विक्रय कर दिया गया है। उनका नाम कलमजन होने योग्य है। किन्तु कलमजन हुई भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का क्या हक है स्पष्ट नही। आया उनका हिस्सा 1/4 अर्थात 11 बीघा 10 बिस्वा से कम अंकित हुआ यह स्पष्ट नही। तनकी संख्या 1 इसी अनुसार आंशिक स्वीकार की जाती है।
2. इस तनकी का भार वादी पर है। वादी द्वारा यह तथ्य सन्देह से परे सिद्व किया है कि प्रश्नगत भूमि जो दोनों चकों में गंगा देवी के नाम से अंकित थी, उस द्वारा विक्रय कर दी गई। विद्या देवी को प्रतिवादी नं. 1 को गंगा देवी से विरास्तन किसी भूमि की प्राप्ती होने योग्य नहीं थी। यह भूमि उनके नाम गलत अंकित है व अन्य सहकाश्तकारों की कम हुई भूमि ही वर्तमान में सहकाश्तकारों की भूमि कम हुई ही प्रकट नहीं हो रही किन्तु यह विवाद रहित है। दोनों में गंगादेवी का हक बतौर खातेदार गलत अंकित है। निश्चित रूप से अन्य अंकित काश्तकारों का हक कम अंकित हुआ है। इसलिए अंकित काश्तकार (वादी) विरूद्व प्रतिवादी चिर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम गंगादेवी के नाम अंकन का लाभ उठाकर वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप ना होने व अपने नाम अंकित भूमि का लाभ उठा कर भूमि सरे वाद को व जरिए रहन बैंक हस्तान्तरण ना करे। इसी अनुसार तनकी नं. 2 निर्णय की जाती है।
3. इस तनकी को वादी द्वारा पूर्ण रूप से सिद्व किया गया। चक 3 एमएमके जमाबंदी में कुल योग गलत अंकित है। इसी प्रकार खातेदारों का योग भी कुल योग से मिलान नही होता है। कुल योग गलत अंकित है। तनकी नं 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उभयपक्ष बहस के तथ्यों के आधार पर वाद वादी आशिक स्वीकार किया जाता है कि चक 6 एमएमके खाता संख्या 64/82 खाता रामप्यारी वगैरा ज.स. 2070–2073 व चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 78/74 खाता हजारी वगैरा में गंगा पत्नी पन्ना के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर गंगा पत्नी पन्ना का नाम कलमजंन किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। गंगादेवी द्वारा बजरिये हस्तातरण पत्र 18.02.1969 को 5 बीघा 15 बिस्वा का बीरबलराम पुत्र शिवलाल एव शेष 5 बीघा 15 बिस्वा 25.02.1969 को ओमप्रकाश पुत्र फुसाराम को किये गये बैयनामे इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगें।

निज.......X.......मुब्लिक.......X.......बाबत.......X.......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......X.......को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.3.2021.......को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया